**न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर**
**पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.**

**राजस्व अपील संख्या 08/2024**

**अपीलान्ट** बनाम **रेस्पोडेन्टस**

**अपीलान्ट**

1. राणसिंह पुत्र अखेसिंह उर्फ अलसीसिंह
2. छोटूसिंह पुत्र लालसिंह
3. नरपतसिंह पुत्र लालसिंह
4. जालमसिंह पुत्र अनोपसिंह
5. देवीसिंह पुत्र रेवतसिंह
6. प्रतापसिंह पुत्र रेवतसिंह
7. भगवानसिंह पुत्र रेवतसिंह
8. महेन्द्रसिंह पुत्र रेवतसिंह
9. लहरकंवर पत्नी रेवतसिंह
10. नेपालसिंह पुत्र अखेसिंह उर्फ अलसीसिंह
11. विशनसिंह पुत्र अखेसिंह उर्फ अलसीसिंह
12. कानसिंह पुत्र अखेसिंह उर्फ अलसीसिंह
13. मधुकंवर पत्नी अखेसिंह उर्फ अलसीसिंह सभी जातियान–राजपूत, निवासीगण– झलोडा भाटियान, तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर।

**रेस्पोडेन्टस**

1. दीपसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. दरिया कंवर पत्नी सांगसिंह जातियान–राजपूत निवासी –जीयासर दांतल, तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर। प्रफॉर्मा पक्षकार
3. सायरकंवर पुत्री लाल सिंह पत्नी बींजराजसिंह निवासी –बरिया तहसील बालोतरा।
4. शिम्भूकंवर पुत्री लाललसिंह पत्नी गुलाबसिंह निवासी– बरिया, तहसील बालोतरा
5. उषबकंवर पुत्र लालसिंह पत्नी मोहनसिंह निवासी– करोला, तहसील सांचोर।
6. खेतसिंह पुत्र लालसिंह निवासी– झलोडा भाटियान तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर।
7. आरएमजीबी शाखा,भीखोडाई
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, फलसूण्ड।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 28.11.2023 जो उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 33/2022 अनवान दीपसिंह वगैराह बनाम खेतसिंह वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलान्टगण की ओर से।
2. श्री देवीसिंह भाटी, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1 व 2 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राज. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 08/2024 अनवान राणसिंह वगैराह बनाम दीपसिंह वगेराह

## निर्णय

दिनांक 10 मार्च, 2025

अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2022 को अन्तर्गत धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के पेश करते हुए कथन किया कि ग्राम जीयासर के मूल ख0सं0 304/1 एवं ख0सं0 304/2 व अप्रार्थीगण के ख0सं0 304 की भूमि स्थित है। ख0सं. 304 की भूमि का बंटवाडा सहायक कलेक्टर पोकरण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.1979 को डिक्री के आधार पर किया गया तथा ख0सं0 304, 304/1 व 304/2 जिनका रकबा क्रमशः 100, 80, 28.10 बीघा बाई म्यूट एंड बाउण्ड अनुसार राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान की अलग-अलग कब्जे अनुसार तरमीम राजस्व रेकर्ड में कर दी गई तथा उसी तरमीम व राजस्व रेकर्ड अनुसार पक्षकारान आज भी मौके पर काबिज काश्त है।

अप्रार्थीगण व राजस्व कर्मचारियों ने मिलीभगत कर प्रार्थीगण के हिस्सा जो पूर्व में न्यायालय की डिक्री से तरमीम हुई थी, उस जगह से ऑनलाईन करते समय अलग जगह तरमीम कर दी गई तथा प्रार्थीगण की जगह अप्रार्थीगण की तरमीम कर दी गई जबकि पक्षकारान पूर्व अनुसार काबिज काश्त है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या एक व दो के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2023 के द्वारा ख0सं0 304, 304/1, 302 भूमि की माफिक तहसीलदार, फलसूण्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तावित तरमीम शुद्धि के अनुसार राजस्व लटठा ट्रेस में तरमीम शुद्ध करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 15.01.2024 को पेश की है।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश करने पर अपीलान्टस की ओर से जवाब पेश किया गया। पटवारी हल्का के द्वारा जो रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई वह रिपोर्ट एकतरफा होने से एवं रिपोर्ट को तैयार करने से पहले अप्रार्थीगण को सूचित नहीं करने के कारण अप्रार्थीगण/अपीलान्टस द्वारा उस रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की गई, जिस पर दिनांक 2.11.2023 को सुनवाई नियत की गई एवं आगामी पेशी वास्ते आदेश दिनांक 28.11.2023 निस्तारण एतराज मुकर्रर की गई



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

परन्तु उस दिन आदेश नहीं लिखाजा सका व पेशी दिनांक 28.12.2023 मुकरर्र की गई। तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी बाहर होने से दिनांक 10.1.2024 रखी गई। दिनांक 10.1.24 को अधिवक्ता अपीलान्ट पेशी पर गये तो बताया गया कि दिनांक 28.11.2023 को ही निर्णय पारित कर दिया है तब अपीलान्टस ने उसी समय नकल प्रार्थना पत्र पेश करते हुए नकले प्राप्त कर यह अपील पेश करने की कार्यवाही की गई है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है, जो निरस्त करने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं का तबादला माह जनवरी के प्रथम सप्ताह में हो जाने के बाद उक्त निर्णय पीछे की तारीख में अपीलार्थीगण को बिना सुने पारित किया गया है। इसके अलावा अपीलार्थी ने दिनांक 2.11.2023 को ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर जो एतराज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये उन एतराज पर ही सुनवाई की गई थी एवं पत्रावली वास्ते आदेश रखी हुई थी, मामले में अन्तिम बहस सुनी ही नहीं गई और निर्णय में यह लिख दिया गया कि दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। इस प्रकार से किसी भी सूरत में अन्तिम निर्णय इस तरह बिना सुने ही पारित किया ही नहीं जा सकता है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी कथन किया कि ख0सं0 304 एवं अन्य भूमि के संदर्भ में विभाजन के वाद में सन् 1979 में जो निर्णय पारित हुआ है उसका क्रियान्वयन हुआ ही नहीं एवं वह पत्रावली तक ही सीमित रहा। मौके पर कोई सीमांकन इत्यादि नहीं किये गये व न ही निर्णय के अनुसार कोई पैमाइश इत्यादि की गई। पक्षकारान जिस स्थिति में मौके पर काबिज थे, उसी स्थिति में काबिज रहे है। अपीलान्टस ने वर्ष 2005 में भूमि पर ऋण लेने के लिये पासबुक व नक्शे की नकल ली थी, उस नक्शे में ख0सं0 304 रकबा 100 बीघा सड़क के चिपते दर्शाते हुए नकल दी गई जो नकल उसी ऋण की पत्रावली में संलग्न की गई परन्तु उसके पश्चात रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने नक्शें में परिवर्तन कराने के प्रयास किये तो एक सहखातेदार प्रतापसिंह द्वारा उसी समय एतराज पेश किया गया जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 17.6.2023 को पटवारी हल्का को आदेश दिया कि सभी सहखातेदारों की सहमति के बिना तरमीम नहीं की जावें, उसके बावजूद भी नक्शे में मनमानी लाईनें खींचकर पटवारी ने नक्शा खराब कर दिया एवं उसी नक्शे को आधार मानकर पटवारी ने मनमानी रिपोर्ट पेश कर दी एवं उस रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

मूल नक्शा मंगवाकर उसका अवलोकन करते तत्पश्चात विधि के अनुरूप निर्णय पारित करते।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि बंटवाडा डिक्री अनुसार वादग्रस्त खसरे की भूमि को 02 भागों में पक्षकारान के मध्य बांटा जाना था जिसमें 100 बीघा एक व 108 बीघा एक किया जाना था। उनके तीन भाग कैसे कर दिये। बंटवाडे के अनुसार तरमीम नहीं हो रखी थी तो ऐसे में सहायक कलेक्टर, पोकरण द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 222/1979 में पारित बंटवाडा आदेश व डिक्री दिनांक 25.10.1979 को भी अपीलान्टस की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर चुनौती दी जा चुकी है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी कथन किया कि अपीलान्टस के द्वारा पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट पर एतराज भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाया गया था जिसका निस्तारण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो निरस्त करने योग्य है। रेस्पोडेन्टस के द्वारा वक्त विभाजन ख0सं0 304 में अपने हिस्से से अधिक की भूमि इस कारण ली थी कि वह सड़क के पीछे स्थित एवं अपीलार्थी का हिस्सा सड़क की तरफ स्थित होने से उसके हिस्से में कम भूमि रखी गई परन्तु वर्षो बाद मूल खातेदारान के वारिसान के मन में लालच आ गया और उन्होंने निराधार प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी अपीलाधीन प्रकरण में जल्दबाजी में तथा उनके उज्र एतराज का निस्तारण किये बिना ही रेस्पो0 संख्या एक व दो के उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए तरमीम शुद्ध करने का आदेश पारित कर दिया गया है जो गुणावगुण पर पारित नहीं होने तथा विधि के विपरित एवं मौके के अनुसार सही नहीं होने से यथावत रखे जाने योग्य नहीं है, जो निरस्त किया जावे एवं अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2023 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युत्तर में दौराने सुनवाई रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2022 को अन्तर्गत धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया था कि ग्राम जीयासर के मूल ख0सं0 304/1 एवं ख0सं0 304/2 व अप्रार्थीगण के ख0सं0 304 की भूमि स्थित होना बताया तथा ख0सं. 304 की भूमि का बंटवाडा सहायक कलेक्टर, पोकरण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.1979 को डिक्री के आधार पर किया गया था तथा



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

ख0सं0 304, 304/1 व 304/2 जिनका रकबा क्रमशः 100, 80, 28.10 बीघा बाई म्यूट एंड बाउण्ड अनुसार राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान की अलग-अलग कब्जे के अनुसार तरमीम राजस्व रेकर्ड में कर दी गई तथा उसी तरमीम व राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान आज भी मौके पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण व राजस्व कर्मचारियों ने मिलीभगत कर प्रार्थीगण के हिस्सा, जो पूर्व में न्यायालय की डिक्री से तरमीम हुआ था, उस जगह की ऑनलाईन तरमीम करते समय अलग जगह पर तरमीम कर दी गई तथा प्रार्थीगण की भूमि की जगह अप्रार्थीगण की भूमि की तरमीम कर दी गई जबकि पक्षकारान पूर्व अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। अतः रेस्पोडेन्टस के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन भी किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक व दो के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संस्थित किये गये अप्रार्थीगण/अपीलान्ट्स इत्यादि को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं वादग्रस्त भूमि की तहसीलदार से प्रार्थना पत्र पर जबाब तलब किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार की ओर से प्रेषित रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स की ओर से एतराज किया गया था जिसका रेस्पोडेन्ट्स की ओर से लिखित में जवाब पेश करते हुए अपीलान्ट के एतराज प्रार्थना पत्र को सारहीन व आधारहीन होने के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 02.11.2023 को उक्त प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली वास्ते निर्णय उक्त प्रार्थना पत्रों के तथा अन्तिम बहस हेतु दिनांक 21.11.2023 को रखी गई थी परन्तु उक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से आगामी तिथी दिनांक 28.11.2023 को नियत की गई। दिनांक 28.11.2023 को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्र बाबत मौका रिपोर्ट अहसमति तथा पेशी मुल्तवी कराने बाबत न्यायोचित नहीं होने के कारण खारिज करते हुए विस्तृत निर्णय को अन्तिम निर्णय में शामिल किया गया। तत्पश्चात उभय पक्षकारान की बहस सुनने के उपरान्त रेस्पो0 संख्या एक व दो की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2023 के द्वारा ख0सं0 304, 304/1, 302 भूमि की माफिक तहसीलदार, फलसूण्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तावित तरमीम शुद्धि के अनुसार राजस्व लटठा ट्रेस में तरमीम शुद्ध करने का आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार से कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है जो कि यथावत रखा जावें।



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन भी किया कि पटवारी हल्का द्वारा वर्ष 2011 में राजस्व नक्शे में तरमीम गलत करते हुए रेस्पोडेन्ट्स का हिस्सा दूसरी जगह बता दिया जबकि पक्षकारान के मध्य हुआ बंटवाड़ा आपसी सहमति से हुआ था और डिक्री भी उसी के अनुसार जारी हुई थी जिसमें भूमि का स्पष्ट खुलासा किया गया था और उसी के अनुसार तरमीम की गई थी जिसके पश्चात उभय पक्षकारान अपने कब्जे के अनुसार काबिज काश्त करते आ रहे है। पटवारी हल्का द्वारा ऑनलाईन तरमीम गलत कर दिये जाने के कारण उनकी ओर से तरमीम शुद्धि हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया था और उपखण्ड अधिकारी महोदय के द्वारा प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विस्तृत विवेचन व विश्लेषण करते हुए तरमीम शुद्ध करने के आदेश पारित किये गये है जो कि विधि के अनुसार उचित होने से बहाल रखा जावे तथा अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2023 को यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस पर गहनता से मनन एवं चिंतन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का गहनता से बगौर अवलोकन किया गया, जिसके उपरान्त यह पाते है कि रेस्पो0 संख्या 01 व 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थनापत्र दिनांक 30.05.2022 को प्रस्तुत करते हुए अंकित किया गया है कि ग्राम जीयासर के मूल ख0सं0 304/1 एवं ख0सं0 304/2 व अप्रार्थीगण के ख0सं0 304 की भूमि स्थित है। मूल खसरा संख्या 304 की भूमि का बंटवाडा सहायक कलेक्टर, पोकरण न्यायालय के द्वारा दिनांक 25.10.1979 को पारित डिक्री के आधार पर किया गया तथा खसरा नं0 304, 304/1 व 304/2 जिनका रकबा क्रमशः 100, 80, 28.10 बीघा है, को बाई म्यूट्स एंड बाउण्ड के अनुसार राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान की अलग–अलग के कब्जे अनुसार तरमीम उस समय राजस्व रेकार्ड में कर दी गई तथा उसी तरमीम व राजस्व रेकर्ड के अनुसार पक्षकारान आज भी मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के हिस्से कि जो पूर्व में न्यायालय की डिक्री से तरमीम हुई थी, ऑनलाईन तरमीम करते समय उस जगह से अलग जगह तरमीम कर दी गई तथा प्रार्थीगण की तरमीम की जगह अप्रार्थीगण की तरमीम कर दी गई जबकि पक्षकारान पूर्व अनुसार काबिज काश्त है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार,



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

फलसूण्ड से प्रकरण में रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, फलसूण्ड के द्वारा वादग्रस्त खसरा भूमि की मौका फर्द दिनांक 20.02.2023 के साथ प्रस्तावित तरमीम शुद्धि के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की अनुशंषा किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक व दो के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए खसरा संख्या 304, 304/1 एवं 302 भूमि की तहसीलदार फलसूण्ड की रिपोर्ट के साथ मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तावित तरमीम शुद्धि के अनुसार राजस्व लट्ठा ट्रेस में तरमीम शुद्ध करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2023 को पारित किया गया।

अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2023 के सम्बन्ध में यह आपत्ति की गई है कि खसरा संख्या 304 एवं अन्य भूमि के बंटवाडा के राजस्व वाद में वर्ष 1979 में जो निर्णय पारित हुआ उसका कियान्वयन हुआ ही नहीं है तथा वह पत्रावली तक सीमित रहा। मौके पर कोई सीमाकंन इत्यादि नहीं किये गये व न पैमाइश इत्यादि की गई तथा पक्षकारान जिस स्थिति में मौके पर काबिज थे उसी स्थिति में काबिज रहे। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की जिस रिपोर्ट को आधार मानकर फैसला किया है, वह रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एकतरफा तैयार की गई है जबकि मौके के हालात बिल्कुल विपरित है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एतराज भी उठाये गये थे, पीठासीन अधिकारी के द्वारा उक्त एतराज पर उनकी बहस को सुने बिना ही प्रस्तुत एतराज को खारिज कर दिया गया, अर्थात् अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना तथा सुने बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया है।

अपीलान्ट की उक्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा की आदेशिका दिनांक 02.11.2023 के अनुसार प्रार्थना पत्र बाबत् अप्रार्थी के मौका रिपोर्ट पर असहमति एवं प्रार्थना पत्र पेशी मुल्तबी करने बाबत् पर बहस सुनी गई। पत्रावली दिनांक 21.11.2023 को वास्ते उक्त दोनो प्रार्थना पत्रो के निर्णय तथा अंतिम बहस हेतु रखी गई थी। दिनांक 21.11.2023 को पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 28.11.2023 को रखी गई। दिनांक 28.11.2023 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्रों पर आदेश पत्रावली के अंतिम निर्णय के साथ कर दिया गया लेकिन पत्रावली दिनांक 28.11.2023 को उक्त प्रार्थना-पत्रो के निर्णय एवं अंतिम बहस हेतु नियत थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को विधि के प्रावधानो के अनुसार सुना नहीं गया है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भणियाणा के निर्णय दिनांक 28.11.2023 में यह विवेचन किया गया है कि "तहसीलदार फलसूण्ड की मौका फर्द के अनुसार ग्राम जीयासर के खसरा नंबर 304/1 रकबा 80.00 बीघा एवं 304/2 रकबा 28.10 बीघा की ऑनलाईन तरमीम में तरमीम गलत कर दी गई है। उक्त दोनों खसरों की तरमीम लठ्ठा नक्शा में पूर्व में ऑनलाईन होने से पूर्व में (ऑफलाईन तरमीम) सही की गई थी, जिसकी नक्शा लठ्ठा की नकल क्रमांक 3712 दिनांक 10.05.2011 की प्रति पेश की है जिसमें उक्त दोनो खसरों की तरमीम पोकरण फलसूण्ड सड़क से चिपती हुई सड़क से पूर्व की तरफ क्रमशः खसरा नंबर 304/1 व 304/2 की हुई है तथा मौके पर उपस्थित उक्त खेत के पड़ोसियों ने भी इसकी पुष्टि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तावित तरमीम शुद्धि के अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम के आदेश पारित किया गया।'' इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट यह आपित्त पेश की गई कि उक्त तरमीम सन् 2005 के राजस्व नक्शा में दर्ज नही थी।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भणियाणा के निर्णय दिनांक 28.11.2023 में यह उल्लेख नही किया गया है कि नक्शा लठ्ठा की नकल 3712 दिनांक 10.05.2011 द्वारा दर्शित तरमीम का आधार क्या था अर्थात किस आदेश के तहत राजस्व नक्शे में तरमीम की गई है। इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का विवेचन नही किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण उपरान्त तथा उपरोक्त ऑब्जर्वेशन्स् के अनुसार हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट्स की अपील आंशिक की स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.23 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भणियाणा को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशन्स् को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षकारान को अपना समुचित पक्ष रखने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे। निर्णय आज दिनांक 10 मार्च, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिमा सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर।